न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/98/2020	2020/00197	21.10.2020	19.09.2022

01. श्रीमति चमेली पत्नी रामजीलाल जाति यादव निवासी ग्राम बाढ केसरपुर तहसील व जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

01. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर दिनांक 06.03.2020 अन्तर्गत धारा 90ए भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 02/2019

उपस्थितः–

01. श्री दाताराम गुप्ता **–वकील अपीलांट**

–:निर्णयः–

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 06.03.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम पैतपुर के आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.69 है0 किस्म चाही सोयम में से 0.09 है0 भूमि पर पक्का निर्माण कार्य बिना रूपांतरण पर अतिक्रमी मानकर बेदखली व पैनल्टी तथा निर्मित भूमि पर धारा 177 आरटीएक्ट के तहत प्रकरण तैयार कर उपखण्ड अधिकारी अलवर को प्रेषित किये जाने से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पैतपुर के आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.69 है0 किस्म चाही सोयम में से 0.09 है0 भूमि पर पक्का निर्माण कार्य बिना रूपांतरण पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 24.01.2019 के द्वारा अतिक्रमी मानकर बेदखली व पैनल्टी तथा निर्मित भूमि पर धारा 177 आरटीएक्ट के तहत प्रकरण तैयार कर उपखण्ड अधिकारी अलवर को प्रेषित करने से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 06.03.2020 को अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा फरमाया गया है। जिस बाबत अपींलांटा को कोई जानकारी नहीं हो सकी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.09.2020 को हुई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर से धारा 177 आरटीएक्ट का नोटिस प्राप्त हुआ। जिस पर अपीलांटा ने उपखण्ड अधिकारी अलवर से नकल दिनांक 15.10.2020 को प्राप्त की। प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गयी है। पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों से कतई साबित नहीं होता कि मिन अपीलांटा ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को व्यवसाय हेतु अकृषि कार्य में लिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा पत्रावली पर जो फोटोग्राफ पेश किये गये है उन फोटोग्राफ से यह साबित नहीं पाया जाता है कि कथित अकृषि कार्य अपीलांटा की खातेदारी की आराजी में किया गया हो। अपीलांटा द्वारा विवादित आराजी पर बदस्तूर कृषि कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है बल्कि अपीलांटा ने अपनी आराजी को जंगली जानवरों से बचाने व असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए पूख्ता डंडा किया हुआ है जो किसी भी प्रकार से अकृषि कार्य की परिधि में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर, अलवर

द्वारा अपने आदेश में यह माना है कि ग्राम पैतपुर नगर विकास न्यास अलवर की परिधि में आता है। इस प्रकार स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के अनुसार अपीलांटा की खातेदारी की आराजी नगर विकास न्यास अलवर के परिधि क्षेत्र में आता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। इस संबंध में अपीलांटा के खिलाफ नगर विकास न्यास अलवर ही कार्यवाही कर सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 06.03.2020 अपास्त फरमाया जावें। वकील अपीलांटा ने अपील के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 546 नजिर पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध दिनांक 21.10.2020 को लगभग 8 माह बाद पेश की गयी है। यद्यपि विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है। फिर भी अपीलांट द्वारा अपील के साथ पेश शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता है। अतः प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में मुख्य तर्क यह उठाया है कि अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2020 पारित किया गया है। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.69 है0 में से 0.09 है0 पर ऑम एचपी गैस एजेन्सी गॉडाउन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। जो व्यावसायिक श्रेणी की गतिविधियों में आता है। व्यावसायिक कार्य बिना भूमि को संपरिवर्तन कराये नहीं किया जा सकता। अपीलांटा द्वारा राज0 भू0राज0 अधिनियम की धारा 90ए का उल्लंघन करते हुए बिना किसी विधिक अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। अपीलांटा द्वारा किया गया कृत्य अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)